झारखण्ड सरकार

वाणिज्य–कर विभाग

पत्र संख्या– –वाकर1 / विविध / 22 / 2010– 3433 */राँची, दिनांक* –13/8/15

प्रेषक,

निधि खरे

सचिव–सह–आयुक्त।

सेवा में,

सभी वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) / (वैट ऑडिट) / (अपील),

सभी वाणिज्य–कर अंचल प्रभारी।

विषयः– **झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा–74 तथा झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2006 के नियम 3 (vi), 3A तथा 3B के अधीन ऑनलाईन निबंधन की प्रकिया विहित करने के संबंध में।**

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि वाणिज्य–कर विभाग में व्यवसायियों के ऑनलाईन निबंधन की प्रकिया को सरलीकृत तथा व्यवसायी अनुकूल करने हेतु झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा–74 तथा झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2006 के नियम **3 (vi), 3A तथा 3B** के अधीन निर्धारित प्रावधान तथा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऑनलाईन निबंधन हेतु निम्नलिखित प्रकिया विहित की जाती है:–

1. **(i)** आवेदक व्यवसायियों द्वारा ऑनलाईन **Jharkhand Common Registration Form ((JCRF)** समर्पण के कम में झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2006 के नियम 5 के अधीन प्रावधानित प्रतिभूति की राशि निम्नवत् होंगी :–

   - राज्यान्तर्गत बिक्री की स्थिति में निबंधन हेतु प्रतिभूति की राशि – **शून्य।**

   - आयातक / विनिर्माता व्यवसायी के मामले में निबंधन हेतु प्रतिभूति की राशि – **ऑनलाईन आवेदन तथा दो निबंधित व्यवसायियों के अनुशंसा के साथ कुल रू0 50,000 / – (Form JVAT 115) की प्रतिभूति राशि।**

   या

   – ***ऑनलाईन आवेदन के साथ अन्य प्रतिभूतियों के लिए 10,000 / – रूपये की राशि का Government Security, Cash by challan, Different Schemes of Post Office इत्यादि।***

   (ii) केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अधीन निबंधन प्राप्त करने हेतु प्रतिभूति की राशि –

   ऑनलाईन आवेदन के साथ दो निबंधित व्यवसायियों से कुल रूपया 50,000 / – (Form X) की प्रतिभूति राशि।

   या

   – ***ऑनलाईन आवेदन के साथ अन्य प्रतिभूतियों के लिए 10,000 / – रूपये की राशि का Government Security, Cash by challan, Different Schemes of Post Office इत्यादि।***

(iii) अंचल प्रभारियों द्वारा आयातक/विनिर्माता व्यवसायियों, केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अधीन आवेदक व्यवसायियों, **Private/ Public** कम्पनियों एवं संवेदनशील वस्तुओं का व्यवसाय करने वाले व्यवसायी आवेदकों से यथावश्यक अतिरिक्त **Security** की मॉग की जा सकती है।

2. आवेदक व्यवसायियों को इस आशय का शपथ पत्र देना आवश्यक है कि उनके द्वारा निबंधन आवेदन प्रपत्र के साथ दी गयी सूचनाएं (**Information**) सही है तथा दी गयी सूचनाएं गलत सिद्ध होने पर सुसंगत संहिता की धाराओं के अधीन दण्ड के जिम्मेवार होंगे।

3. नये व्यवसायियों हेतु (**Government Company, Public Limited Company** को छोड़कर) पहले कर विवरणी तथा कर भुगतान करने की अवधि तक निम्न **Software Validations** क्रियाशील होंगे :—

   - नये व्यवसायियों द्वारा उक्त समर्पित 50,000/— रूपये की प्रतिभूति राशि के समतुल्य कर राशि तक अन्तर्राज्य क्रय हेतु **Online SUGAM-G Generate** होगा।
   - तदोपरांत **SUGAM-G** का निर्गमन **Autoblock** होगा।
   - संबंधित अंचल प्रभारी व्यवसायी से अतिरिक्त प्रतिभूति राशि /कर राशि के प्राप्ति/भुगतान के उपरांत ऑनलाईन **SUGAM-G Generation** को **unblock** करेंगे।

4. व्यवसायियों द्वारा ऑनलाईन निबंधन पत्र समर्पित करने के साथ—साथ सभी आवश्यक कागजातों को भी **upload** किया जाएगा। अंचल स्तर पर ऐसे **uploaded** दस्तावेजों की जॉच कर आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कागजात/दस्तावेज प्राप्त करने /संशोधन करने हेतु अंचल प्रभारी द्वारा व्यवसायियों को **SMS** तथा ईमेल के माध्यम से सूचना दी जाएगी।

5. अंचल प्रभारी द्वारा निर्धारित समय एवं तिथि पर व्यवसायी को निबंधन प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु अंचल कार्यालय में उपस्थित होने हेतु सूचित किया जाएगा।

6. अंचल प्रभारी के समक्ष उनके द्वारा निर्धारित तिथि एवं समय पर मात्र एक बार व्यवसायी को अपने मूल कागजातों एवं ऑनलाईन समर्पित आवेदन (**JCRF**)की हस्ताक्षरित प्रति के साथ आना अपेक्षित है जहॉ मूल कागजातों के सत्यापन के उपरांत व्यवसायी को निबंधन प्रमाण पत्र **JVAT 106** निर्गत किया जाएगा।

7. सभी अंचल प्रभारी उपरोक्त निदेशों का शतप्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

8. इसके अतिरिक्त समय—समय पर **e-governance** के उदेश्य से यथाआवश्यक संशोधन/परिवर्तन करने हेतु मार्गदर्शन निर्गत किये जा सकेंगे।

विश्वासभाजन

13.8.15.

(निधि खरे)

सचिव—सह—आयुक्त।